न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः–109 / 2014 / दावा

1. नंदकिशोर पुत्र श्री श्योलाल जाति ब्राहमण निवासी करड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

–प्रार्थी वादी

बनाम

1. बंशीधर पुत्र श्री मुरलीधर
2. सीताराम, हीरालाल पुत्रगण रामलाल
3. गजानन्द पुत्र श्री कजोडमल
4. छीतरमल पुत्र श्री बिडदीचन्द
5. शान्ति देवी बेवा बिडदीचन्द
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी मंगरा तन करड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)
6. पटवारी पटवार हल्का करड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. उप–पंजीयक दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।
8. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

दावा बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थितिः

1. श्री आनन्द राड वकील वादी की ओर सें।

निर्णय दिनांक 22.10.2019

1. वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि भूमि ख0नं0 1815 रकबा 0.05 हैक्टर ग्राम मंगरा पटवार हल्का करड तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है जिसका कब्जा काश्त कदीम से ही वादी का ही चला आ रहा है। सिर्फ संहवन से खातेदारी में नाम प्रतिवादीगण का चला आ रहा है जिसे हजफ कर वादी का खातेदार काश्तकार उदघोषित कर उसी मुताबिक राजस्व रिकार्डो में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्डो के दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वादी के कदीमी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमिया ख0नं0 1810, 1815 व 1816 ग्राम मंगरा तन करड तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है। जिनमें ख0नं0 1815 रकबा 0.05 हैक्टर गै0मु0 चाह जो भूमि ख0नं0 1816 के अन्दर अवस्थित है। उक्त सभी भूमियो पर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

वादी कदीम से ही बहैसियत मालिक काबिज काश्ताकार चला आ रहा था, वादी का उक्त आराजियात को कदीम से ही निर्बाध रूप से उपयोग–उपभोग लेता चला आ रहा था, तथा वादी का उक्त वर्णित भूमियों में सम्पूर्ण खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हो चुका है। तथा वादी को उसके हक अधिकार की आराजियात से महरूम करने का प्रतिवादीगण या किसी भी दिगर व्यक्ति को कोई हक अधिकारी नहीं है। वादी अभी कुछ अर्सा पूर्व पैरा सं0 3 में वर्णित भूमियो का बेचान का सौदा गुल्लाराम पुत्र चौथुराम अहीर निवासी बस्सीनागान तहसील फुलेरा जिला जयपुर के साथ किया तथा बैचान के लिये जमाबंदी पटवार हल्का पटवारी से निकलवाई तो वादी को पता चला की वादी के कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि ख0नं0 1815 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम चढी हुई है। जिसको दुरूस्त कर उक्त भूमि ख0नं0 1815 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाकर उसी मुताबिक राजस्व रिकार्डो में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्डो को दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अभी 4–5 रोज पूर्व वादी जब अपने कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 1815 पर कार्य कर रहा था, तो 4–5 अजनबी भूमाफिया किस्म के लोग आये और उन्होने वादी के कब्जे काश्त की भूमि की तरफ इशारा कर खरीद, बैचान व कब्जा करने की बात की तो वादी ने उन लोगो का विरोध किया तो उन लोगो ने वादी को धमकी दी की हम भूमाफिया लोग है, जो ऐसी ही विवादित भूमियो का ढढते रहते है, हमें पता है, कि इस भूमि की खातेदारी तुम्हारे नाम नहीं है। हम इस भूमि को अपने नाम करवा कर तुम्हे यहा से बाहर उठाकर फैक सकते है। इस प्रकार अगर कोई भूमाफिया गिरोह प्रतिवादीगण को बहकावे में लेकर उक्त आराजियात की गलत खातेदारी की आड में उक्त आराजियात को रहन, बैचान कर वादी के उपयोग–उपभोग व कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने की कुचैष्टा में कामयाब हो जाते है, तो वादी को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में किसी भी तरह से संभव नही हो सकेगी, इसलिये उपरोक्त वर्णित आराजियात की खातेदारी में से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार उदघोषित कर उसी मुताबिक राजस्व रिकार्डो में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्डो को दुरूस्त किया जाना आवश्यक न्यायोचित है, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना भी अति आवश्यक व न्यायोचित है कि वो उक्त आराजियात को गलत खातेदारी की आड में किसी अन्य को

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

रहन, बैचान एवं हस्तान्तरित करने, वादी को बेदखल करने व इसे खुर्द–बुर्द करने बाज रहे। वाद करण 4–5 रोज पूर्व भूमाफिया किस्म के लोगो द्वारा वादी को उक्त विवादित आराजी के उपयोग–उपभोग से बेदखल करने व विक्रय पत्र अपने नाम तस्दीक करवाने की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ जो कि निरन्तर क्षण–प्रतिक्षण चालू है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर डिक्री आश्य की जारी की जावे कि ग्राम मंगरा पटवार हल्का करड तहसील दांतारामगढ में अवस्थित भूमि ख0नं0 1815 रकबा 0.05 हैक्टर की खातेदारी में से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादी की खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाकर उसी मुताबिक राजस्व रिकार्डो में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्डो को दुरूस्त किया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। सभी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी तथा वादी के समर्थन में साक्षी के बयानात लेखबद्व किये गये। वादपत्र पर वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा साक्ष्यों पर गौर किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों मे कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर उसे वांछित खसरा नम्बर 1815 रकबा 0.05 हैक्टेयर का खातेदार उद्घोषित किया जा सके तथा वादी खसरा नम्बर 1815 की खातेदारी साबित करने में असफल रहा है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner